Chandradeep P.S. 63/2024

14.05.2025 सूचिका की हाजरी है। पुकार पर सूचिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुई। सूचिका की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने लिखित रूप से अनुरोध किया कि पुलिस ने अभियुक्तो के मेल में इस मामले में अंतिम प्रतिवेदन घटना को असत्य दर्शातें हुए समर्पित किया गया। जबकि काण्ड दैनिकी में साक्षियों ने अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है तथा घटना की पुष्टि जख्म प्रतिवेदन से भी हो रही है। अतः प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध इस मामले में संज्ञान लेने की कृपा की जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया । प्राथमिकी के अनुसार राजकुमार यादव, संतोष यादव, शंभू यादव, किशोरी यादव, ललन यादव एवं सुड्डु यादव ने परिवादिनी के साथ मारपीट एवं गाली–गलौज किया था तथा धमकी दी थी। उल्लेखनीय है कि काण्ड दैनिकी के पैरा 2 में परिवादिनी रेखा देवी का पुनः बयान दर्ज है। पैरा 6, 7, 8 मे साक्षी भाषो देवी, उर्मिला देवी तथा नन्दे चौधरी का बयान दर्ज है। सूचिका तथा इन साक्ष्यो ने अपने बयान में साररूप से प्राथमिकी का समर्थन किया है। उल्लेखनी है कि काण्ड दैनिकी के पैरा 17 में सूचिका रेखा देवी का जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख है, जिसमें दर्ज है:–

1. Abrasion on forehead right side.
2. 1/2X1/2 Abrasion on forehead right side.
3. Abrasion on left wrist 1/2X1/2x

मेरे विचार से प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त राजकुमार यादव, संतोष यादव, शंभू यादव, किशोरी यादव, ललन यादव एवं सुड्डु यादव के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 504, 506, 354 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की धारा 3(1)(r), 3(1)(s) के अंतगर्त अपराध करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इन अभियुक्तो की उपस्थिति हेतु समन निर्गत करे।

डी0ए0एस0जे0 01